HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6977/2026
CNR: RJHC021026402026 | URN: CRLMP / 17188U / 2026

Mukesh Kumar Yadav S/o Giga Ram Yadav, R/o Ward No. 6, Dhani Sapawali, Bilandrapur, Jaipur Pin Code 303803.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Laxmi Narayan Rundla S/o Shri Pema Ram Rundla, R/o 435 Rundla Wali Singod Kalan, Jaipur Rajasthan Current Residence- Kishan Dairy Plot No. 17, Ma Hinglaz Nagar, Gandhi Path, Lalpura, Jaipur, Rajasthan 302021.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Sandeep Sharma, Adv. Mr. Mukesh Kumar Yadav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesh Agrawal, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/10/2026

याची–अभियुक्त की ओर से यह याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत विद्वान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआईएक्ट प्रकरण) संख्या–2 जयपुर महानगर–द्वितीय द्वारा प्रकरण संख्या 2635/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2026 से व्यथित होकर पेश की गयी है जिसके माध्यम से अभियुक्त का द्वितीय आवेदन अन्तर्गत धारा 384 बी.एन.एस.एस. 2000/– कोस्ट पर खारिज किया गया।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, वह युक्तियुक्त कोस्ट

Digitally signed by
ARUN KUMAR
MITTAL
Date: 2026.10.29
10:44:42 IST

अदा करने हेतु तत्पर है, अतः न्यायहित में परिवादी से जिरह हेतु एक अवसर दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

याची–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एनआईएक्ट के आरोप में प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है, दिनांक 16.03.2023 को अभियुक्त को उपरोक्त अपराध का आरोप सारांश सुनाया गया था, दिनांक 18.09. 2024 को अभियुक्त द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षा हेतु अवसर चाहा तथा आगामी पेशी दिनांक 13.11.2024 को जिरह नहीं करने पर जिरह बंद की गयी। उपरोक्त जिरह को खुलवाने हेतु धारा 384 बी.एन.एस.एस. के तहत याची–अभियुक्त की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उदारता का रूख अपनाते हुए 1500/– रूपये कोस्ट अधिरोपित करते हुए परिवादी से जिरह हेतु अवसर प्रदान किया गया, लेकिन आगामी दो पेशियों पर भी अभियुक्त की ओर से जिरह नहीं की गयी, तत्पश्चात अभियुक्त के अनुपस्थित रहने पर उसके जमानत–मुचलके जब्त कर उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया, तत्पश्चात दिनांक 24.09.2025 को अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उसे जमानत सुविधा दी गयी तथा परिवादी से जिरह हेतु पुनः एक अवसर दिया गया, लेकिन दिनांक 11.11.2025 को अभियुक्त की ओर से जिरह नहीं की गयी, फिर भी 1500/– रूपये कोस्ट पर अवसर देकर दिनांक 17.12.2025 को प्रकरण नियत किया गया, उस दिन भी जिरह नहीं करने पर जिरह बंद की गयी। उपरोक्त परिस्थितियों के बाद अभियुक्त द्वारा पुनः धारा 384 बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदन पेश किया जो आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज किया गया।

उपरोक्त वृतान्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से जिरह हेतु अनेक व पर्याप्त अवसर लिये गये हैं, लेकिन उसने उक्त

अवसरों का उपयोग नहीं करते हुए येन–केन प्रकरण को विलम्बित करने का प्रयास किया है।

इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश पूर्णतः विधि–सम्मत है जिसमें धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है और प्रस्तुत यह याचिका खारिज होने योग्य है।

परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है, स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

8A/Mittal